

कार्यालय - ज्ञाप

Office - Memorandum

विषय: राज्य सरकार के सिविल / पारिवारिक  
पेंशनरों आदि को महंगाई राहत की  
स्वीकृति।

Subject : Grant of dearness relief to State  
Government's civil / family pensioners.

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश  
हुआ है कि उपर्युक्त विषय पर वित्त विभाग के  
कार्यालय - ज्ञाप संख्या-सा-3- 03जी0आई0  
/दस-2012-301/2000 टी0सी0 , दिनांक  
20 जुलाई, 2012 जिसके द्वारा महंगाई राहत  
दिनांक 01 जनवरी, 2012 से 65 प्रतिशत  
स्वीकृत की गयी थी, के क्रम में राज्यपाल  
महोदय द्वारा, औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक  
में इस बीच हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त  
संदर्भित कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 20 जुलाई,  
2012 में उल्लिखित दरों का संशोधन करते हुए  
दिनांक 01 जुलाई, 2012 से महंगाई राहत की  
07 प्रतिशत की एक और किरत दिये जाने की  
सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गयी है।

The undersigned is directed to refer to  
the office memorandum No. Sa-3-G.I.-  
03/X-2012-301/2000 T.C. dated July 20,  
2012 on the above mentioned subject,  
sanctioning additional instalment of  
dearness relief with effect from January  
01, 2012 and to say that the Governor is  
pleased to further enhance by 07 percent,  
with effect from July 01, 2012, the rate of  
dearness relief admissible to all civil /  
family pensioners of this Government to  
compensate them for the rise, in the  
meanwhile, in the average consumer price  
index.

2- पेंशनरों को अनुमन्य महंगाई राहत में  
दिनांक - 01 जुलाई, 2012 से 07 प्रतिशत की  
उपर्युक्त बढ़ोतरी के फलस्वरूप पेंशन पर  
अनुमन्य महंगाई राहत की दर 65 प्रतिशत से  
बढ़कर 72 प्रतिशत हो जायेगी।

2- As a consequence of the above-  
mentioned 07 percent rise, the dearness  
relief payable on the pension will rise from  
existing 65 percent to 72 percent with  
effect from July 01, 2012.

3- महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो  
एक रुपये के आधे से कम आगणित होगी, उसे  
नजरअंदाज कर दिया जायेगा, जबकि आधे  
अथवा आधे से अधिक को पूर्ण रुपये के रूप में  
लिया जायेगा।

3- In the calculation of dearness relief,  
fraction of a rupee less than its half shall  
be ignored while half or more shall be  
counted as one rupee.


4- यह आदेश उच्च न्यायालय के  
न्यायाधीशों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक  
उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे।  
उनके संबंध में संबंधित विभागों द्वारा अलग से  
आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।  
अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनरों /  
पारिवारिक पेंशनरों के संबंध में आदेश पृष्ठांकन  
संख्या -सा-3-जी0 आई0-13 / दस-  
2012-301/ 2000, दिनांक 12 अक्टूबर,  
2012 द्वारा जारी किए जा चुके हैं।

4- These orders will not be applicable to  
the Judges of High Court, employees of  
local bodies and public undertakings /  
corporations etc. in respect of  
whom separate orders will be issued by  
respective departments. Orders in  
respect of All India Service pensioners/  
family pensioners have been issued vide  
endorsement number G-3-G.I.-13/X-2012-  
301/2000, dated October 12, 2012.

5- यह आदेश शिक्षा / प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे पेंशनरों, जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन / पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

6- शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-ए-1-252 / दस-10(3)-81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिए महालेखाकार के प्राधिकार - पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान अधिकारियों द्वारा इस कार्यालय - ज्ञाप के आधार पर ही उपरोक्तानुसार अनुमन्य महँगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

7- महँगाई राहत स्वीकृति करने के संबंध में अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध, जो इससे संबंधित पूर्व शासनादेशों में निर्धारित हैं, पूर्ववत् लागू रहेंगे।




( अजय अग्रवाल )  
सचिव, वित्त।

5- These orders will also be applicable to pensioners of institutions aided from State Fund, under the Education / Technical Education Departments, whose pension / family pension is at par with that of the pensioners of the State Government.

6- As per orders issued in O.M. No. A - 1 - 252 / X 10 (3)- 81, dated April 27, 1982 the Accountant General's authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment of dearness relief shall be made by the concerned pension disbursing authorities on the basis of this office memorandum alone.

7- Other terms and conditions regarding grant of dearness relief laid down in earlier Government orders shall remain applicable as before.



( Ajay Agarwal )  
Secretary, Finance.

सेवा में,

उ०प्र० शासन के समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष, कोषाधिकारी एवं पूर्व में उल्लिखित अन्य सभी अधिकारीगण।

To,

All Principal Secretaries / Secretaries to Government of Uttar Pradesh, Heads of Departments / Offices, all Treasury Officers and other officers as per previous distribution list.